JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

परियोजना का नाम– मा0मु0घो0, सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे देवल से धानाई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28 प्रारम्भ हो कर ग्राम धानई तक जाता है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम धानई के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाए पानी लकडी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाऐंगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें। चूंकि गॉव का रास्ता वन पंचायत से होकर जाता है तथा मोटर मार्ग हेतु तकनीकी दृष्टि से भी वन पंचायत की भूमि पर ही मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव है। वन भूमि के अलावा अन्य किसी प्रकार की भूमि से मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं है।

समरेखण–1 यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28 से प्रारम्भ होकर धानई गॉव तक 2.00 कि0मी0 लम्बाई मे जाता है। इस समरेखण पर क्षेत्रिय जनता की सहमति हैं तथा भू–गर्भ वेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्डो की संख्या 4 हैं तथा 136 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

समरेखण–2 यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28 से प्रारम्भ होकर धानई गॉव तक 2.00 कि0मी0 लम्बाई मे जाता है। इस समरेखण से क्षेत्रिय जानता भी सहमत नहीं हैं । इस समरेखण में हेयरपिन बैण्डो की संख्या 5 हैं तथा 200 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नही हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न0–1 उपर्युक्त हैं।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।